लोक सभा सचिवालय
शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (पीपी) 2017/आईबी-1 फरवरी 2017

डिजिटल इंडिया : सशक्तीकरण की शक्ति

देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और ज्ञान आधारित बदलाव लाने हेतु तैयार करने के उद्देश्य से हाल ही में शुरू किया गया ''डिजिटल इंडिया कार्यक्रम'' भारत में ई-गवर्नेंस पहलों की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अंतर्गत अनेक विचारों और कल्पनाओं को एक व्यापक दृष्टिकोण में समाहित किया गया है, ताकि इनमें से प्रत्येक को एक वृहद लक्ष्य के हिस्से के रूप में देखा जा सके तथा बदलाव में सहायक बनाने हेतु इन्हें प्रौद्योगिकी केन्द्रित भी बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पहले से चल रही अनेक योजनाओं का विलय किया गया है जिन्हें पुन: निर्मित और पुन: फोकस कर समन्वित रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। समूचे सरकारी तंत्र द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे इस कार्यक्रम के समन्वय का कार्य इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा किया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ''आईटी (इंडियन टेलेंट अर्थात् भारतीय कौशल)+[आईटी (इंफॉर्मेशन टेक्नॉलाजी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी)=आईटी (इंडिया टुमॉरो अर्थात् भावी भारत)]'' की कल्पना को साकार करना है।

डिजिटल इंडिया की संकल्पना: यह संकल्पना तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है:

(एक) प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल अवसंरचना एक जन-उपयोगी सुविधा के रूप में: सुविधा संपन्न राष्ट्र के निर्माण के लिए समूचे राष्ट्र का परस्पर जुड़ाव पूर्वापेक्षित है। यदि भारत के दूरस्थ गांवों को ब्राडबैंड और हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल रूप से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक नागरिक को सरकार की ई-सेवाएं, लक्षित सामाजिक लाभ प्रदान करने और वित्तीय समावेशन जैसे लक्ष्यों को वास्तविक रूप में प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया संकल्पना, जिन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है उनमें से एक है ''प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल अवसंरचना-एक जन-उपयोगी सुविधा के रूप में।''

विभिन्न सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए कोर यूटिलिटी के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट इस संकल्पना का महत्वपूर्ण घटक है। डिजिटल पहचान, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सेवा केन्द्रों (साझा सेवा केन्द्र) की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना का विकास करने की योजना बनाई गई है। नागरिकों को डिजिटल लॉकर प्रदान किए जाने का भी प्रस्ताव है, जो पब्लिक क्लाउड पर शेयरऐबल प्राइवेट स्पेस (साझा किए जा सकने वाले निजी क्षेत्र) होंगे और इनमें ऑनलाइन प्रयोग हेतु सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को रखा जा सकेगा। साइबर स्पेस की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने की योजना भी है।

प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल अवसंरचना—एक जन-उपयोगी सुविधा के रूप में—इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल हैं—

- **नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कोर यूटिलिटी के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता**
- **क्रेडल टू ग्रेव डिजिटल पहचान: अर्थात् प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट जीवनपर्यंत, ऑनलाइन और प्रमाणीकृत डिजिटल पहचान**
- **मोबाइल फोन और बैंक एकाउंट से डिजिटल और वित्तीय क्षेत्रों में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना**
- **साझा सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) तक आसानी से पहुंच**
- **पब्लिक क्लाउड पर शेयरऐबल प्राइवेट स्पेस**
- **सुरक्षित और संरक्षित साइबर स्पेस**

(दो) मांग आधारित शासन और सेवाएं: ई-गवर्नेंस के इस युग के साथ चलने के लिए विगत वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों ने बहुत सी पहलें की हैं। सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने और उन तक पहुंच की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनेक स्तरों पर सतत प्रयास किए गए हैं। भारत में ई-गवर्नेंस के अंतर्गत सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ नागरिक केन्द्रित, सेवोन्मुखी और पारदर्शिता जैसे शासन के श्रेष्ठ गुणों को समाहित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।

पूरे देश में ई-गवर्नेंस पहलों को एक सामूहिक विज़न में एकीकृत कर एक समग्र दृष्टिकोण तैयार करने के लिए ई-क्रांति का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, दूरस्थ गांवों से लेकर पूरे देश में विस्तृत अवसंरचना विकसित की जा रही है तथा इंटरनेट पर सरल और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी दस्तावेजों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसका आधारभूत लक्ष्य यह है कि जन साधारण को सभी सरकारी सुविधाएं साझा सेवा सुपुर्दगी केंद्र के माध्यम से उनके निवास स्थल के आस-पास ही उपलब्ध हो सकें तथा आम आदमी को मूलभूत आवश्यकताएं सस्ते दामों पर प्रदान करने में इन सेवाओं की कुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

मांग आधारित शासन सेवाएं

- **सभी विभागों अथवा अधिकार क्षेत्रों में समेकित रूप से एकीकृत सेवाएं**
- **ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्म के माध्यम से कम से कम समय में सेवाओं की उपलब्धता**
- **क्लाउड पर सभी नागरिकों की पात्रता उपलब्ध कराया जाना**
- **व्यापार को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल रूप से रूपांतरित सेवाएं**
- **वित्तीय लेन-देन को इलेक्ट्रॉनिक और नकदी रहित (कैश लेस) बनाना**
- **निर्णय समर्थन प्रणाली और विकास में सहायता हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर बल देना**

(तीन) नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना: डिजिटल कनेक्टिविटी समानता लाने में सहायक है। भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक विभिन्नताओं से परे भारत के लोग मोबाइल फोन और कम्प्यूटर पर डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं और परस्पर बातचीत करते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य अपने आप में डिजिटल साक्षरता, डिजिटल संसाधनों और सहयोगपूर्ण डिजिटल प्लेटफार्म पर ध्यान केन्द्रित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में परिवर्तित करना है। यह सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता और डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता पर भी बल देता है।

नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित बातें शामिल हैं—

- **सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता**
- **सार्वभौमिक रूप से सुगम्य डिजिटल संसाधन**
- **क्लाउड पर सभी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को उपलब्ध किया जाना**
- **डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता**
- **भागीदारीपूर्ण शासन के लिए सहयोगपूर्ण डिजिटल प्लेटफार्म और**
- **क्लाउड के माध्यम से सभी पात्रताओं की सुवाह्यता**

डिजिटल इंडिया के स्तंभ: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संचालन के लिए विकास के जिन क्षेत्रों पर बल दिए जाने की आवश्यकता है, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं—

- सभी ग्रामीण, शहरी और राष्ट्रीय सूचना अवसंरचनाओं के लिए ब्राडबैंड हाइवे
- मोबाइल कनेक्टिविटी तक सभी की पहुंच
- बहु-सेवा केंद्रों के रूप में साझा सेवा केंद्रों और डाकघरों के माध्यम से पब्लिक इंटरनेट एक्सस कार्यक्रम
- फार्म के सरलीकरण और क्षेत्र में कमी करके; ऑनलाइन आवेदन; ऑनलाइन आधान जैसे स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान-पत्र, आदि; सेवाओं और प्लेटफार्मों का एकीकरण जैसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पेमेंट गेटवे, मोबाइल प्लेटफार्म, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) आदि; सभी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस और सूचना; ई-ऑफिस; और ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी तंत्र में सुधार।
- ई-क्रांति-शिक्षा; स्वास्थ्य; किसानों के लिए सुरक्षा—आपातकालीन सेवाएं और आपदा संबंधी सेवाएं; वित्तीय समावेशन; इंटरओपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (अंत: प्रचालनीय दंड न्याय प्रणाली); परियोजना की आयोजना, संकल्पना, डिजाइन और विकास; साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना।
- ओपन डाटा प्लेटफार्म के माध्यम से सभी के लिए जानकारी, सूचना और दस्तावेजों की ऑनलाइन उपलब्धता, नागरिकों को जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया और वेब आधारित प्लेटफार्मों, जैसे **MyGov.in**, ऑनलाइन मैसेजिंग आदि का अधिकाधिक प्रयोग।
- नेट जीरो इम्पोर्ट के लक्ष्य सहित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण।
- नौकरियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी—पूरे देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास। उत्तर-पूर्व के प्रत्येक राज्य में बीपीओ के निर्माण पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।
- अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम—डिजिटल शहरों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वाई-फाई हॉट-स्पॉट का प्रावधान।

उक्त परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं और इनके कार्य-क्षेत्र और कार्यान्वयन नीति में सुधार, पुन: अभियांत्रिकीकरण (रिइंजीनियरिंग), परिष्करण और समायोजन की आवश्यकता है ताकि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के स्तर पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों में सेवा के वांछनीय उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

डिजिटल इंडिया वीक

'डिजिटल इंडिया वीक' की शुरुआत 1 जुलाई, 2015 को की गई थी। इस कार्यक्रम को सरकार के सभी अंगों, उद्योग, समाज और मीडिया का व्यापक समर्थन मिला है। उद्योग जगत में 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की सफलता की दिशा में निवेश और समर्थन के लिए काफी उत्साह भी देखा गया था।

विभिन्न क्षेत्रों में प्रारम्भ से अंत तक इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन सेवाओं के विजन को प्राप्त करने के लिए डिजिटल इंडिया वीक के दौरान निम्नलिखित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों और प्लेटफार्मों को आरंभ किया गया है:—

एक. **डिजिटल लॉकर:** डिजिटल लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग में कमी लाना और विभिन्न एजेंसियों के बीच ई-दस्तावेजों को साझा करना है। ई-दस्तावेजों को पंजीकृत संग्रह (रेपोसिटरीस) के माध्यम से साझा किया जाएगा और इस प्रकार दस्तावेजों की प्रामाणिकता ऑनलाइन सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल लॉकर प्रणाली को **www.digitallocker.gov.in** पर ऑनलाइन देखा जा सकता है।

दो. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल):** भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी छात्रवृत्तियों के लिए प्रारम्भ से अंत तक छात्रवृत्ति प्रक्रिया अर्थात् छात्रों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने, उनके सत्यापन स्वीकृति और अंतिम लाभार्थी तक छात्रवृत्ति के वितरण हेतु एक ही स्थान पर उपलब्ध पूर्ण उपाय है। 'राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल' को **www.scholarship.gov.in** पर ऑनलाइन देखा जा सकता है।

तीन. **ई-हॉस्पिटल-ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस):** ई-हॉस्पिटल एप्लीकेशन के अंतर्गत एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली विकसित की गई है, जो कि पंजीकरण, नियुक्ति शुल्कों के भुगतान, नैदानिक रिपोर्ट और रक्त की उपलब्धता आदि से संबंधित सुविधाएं नागरिकों को एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराती है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली को **www.ors.gov.in** पर देखा जा सकता है।

चार. **ई-साइन फ्रेमवर्क:** ई-साइन, किसी आधार कार्डधारक को ऑनलाइन सेवा का उपयोग करके दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा प्रदान करता है। ई-साइन को आधार ई-केवाईसी सेवा के माध्यम से हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणीकरण का उपयोग करके डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करने के लिए तैयार किया गया है।

पांच. **डिजिटाइज इंडिया प्लेटफार्म:** भारत सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने हेतु एक पहल की है जिससे नागरिकों को कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने तथा सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यालयों के रिकॉर्ड रूम में दस्तावेजों के ढेर को कम करने में सहायता मिलेगी। इस प्लेटफार्म का उद्देश्य 'क्राउड सौर्सिंग' प्रणाली, जिसमें प्रत्येक नागरिक डिजिटलीकरण प्रक्रिया में भाग ले सकता है, के माध्यम से साझा की जा सकने वाली और आम नागरिकों के लिए उपयोगी सरकार की फाइलों और दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना है। डिजिटाइज इंडिया प्लेटफार्म को **www.digitizeindia.gov.in** पर ऑनलाइन देखा जा सकता है।

छह. **डिजिटल इंडिया पोर्टल और मोबाइल एप:** डिजिटल इंडिया पोर्टल, 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम हेतु एक समर्पित पोर्टल है जो सभी हितधारकों और नागरिकों को जोड़ता है। पोर्टल, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी प्रगति हेतु विजन, प्रचालन क्षेत्र, कार्यक्रम प्रबंधन संरचना, दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली के संबंध में अद्यतन ब्यौरा प्रदान करता है।

सात. **डिजिटल इंडिया मोबाइल एप:** डिजिटल इंडिया मोबाइल एप एक मोबाइल-आधारित एप्लीकेशन है, जिसे स्मार्ट फोन और अन्य मोबाइल उपकरणों के माध्यम से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संबंध में सुगमता से जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। **आधार-मोबाइल अपडेट एप:** आधार ओटीपी प्रमाणीकरण आधारित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि आधार कार्डधारक के मोबाइल नंबर सहित आधार डाटाबेस अद्यतन हो। इस कार्य के लिए, डीईआईटीवाई ने यूआईडीएआई द्वारा प्रकाशित विनिर्देशों पर आधारित एक एप्लीकेशन (वेब और मोबाइल) तैयार की है। यह एप्लीकेशन, लोगों को डिजिटल पहचान के एक उपकरण के रूप में मोबाइल फोन का उपयोग करने में काफी सहायक होगी।

आठ. **माइगोव मोबाइल एप:** माइगोव मोबाइल एप भारत की प्रगति और विकास के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता से नागरिकों और सरकार के बीच भागीदारी बनाने के लिए नवीन मंच है। इस मंच के माध्यम से सरकार का उद्देश्य नागरिकों के विचार, सुझाव और मूल स्तर पर उनका योगदान प्राप्त करके सुशासन की दिशा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। नागरिक राष्ट्र निर्माण की इस अनोखी पहल में भाग ले सकते हैं और पहली बार पूरे भारत से नागरिक विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं आदि से संबंधित क्षेत्रों में सरकार के साथ अपने विशेषज्ञतापूर्ण विचार और सुझाव साझा करेंगे।

नौ. **स्वच्छ भारत मोबाइल एप:** स्वच्छ भारत (क्लीन इंडिया) दृष्टिकोण की तर्ज पर और इस अभियान के तहत अधिक से अधिक नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्वच्छ भारत (एसबी) मोबाइल एप विकसित किया गया है। यह मोबाइल एप स्वच्छता की शपथ लेने और माइगोव पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रतिक्रियाओं (चित्र अथवा वीडियो) को अपलोड करने के साथ-साथ नागरिकों और सरकारी संगठनों के समक्ष आ रहे विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करेगा।

डिजिटल इंडिया वीक के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पुलिस, कृषि, व्यापार और रोजगार, आदि से संबंधित अनेक सेवाएं भी आरंभ की गईं। विभिन्न हितधारकों द्वारा कार्यशालाओं, प्रतिस्पर्धाओं, डिजिटल साक्षरता कार्यकलापों, डिजिटल इंडिया फिल्मों और वीडियो, रैलियों जैसे कार्यकलापों का आयोजन किया गया।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम हेतु संसदीय पहल

भारत की संसद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सच्ची भावना से अपनाने और लागू करने में काफी सक्रिय है। माननीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के उपयोगार्थ 17 जुलाई, 2016 को एक ई-पोर्टल आरंभ किया गया। संसद सदस्यों का पोर्टल, सांसदों को ऑनलाइन जानकारी प्रदान करने और उनसे अनुरोध प्राप्त करने हेतु तैयार की गई एक दुतरफा संचार प्रणाली है। सदस्यों को उनके संसदीय दायित्वों का निर्वहन करने में सुविधा प्रदान करने हेतु पोर्टल में ई-नोटिस का ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना; ऑनलाइन संदर्भ सेवाएं; ई-मेल, एसएमएस; लोक सभा सचिवालय को अनुरोध प्रस्तुत किया जाना; संसद सदस्यों के पते प्रिंट करना; विधेयक; प्रश्न और परिचालित किए गए अन्य पत्र; समितियां; सभा का कार्य; पत्र/दस्तावेज; परिपत्र और सूचनाएं जैसे माड्यूल शामिल किए गए हैं।

26 जुलाई, 2016 को संसद सदस्यों के लिए 'डिजिटल इंडिया इंप्लीमेंटेशन' विषय पर आधे दिन के एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 'नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट' के सहयोग से नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन (एनईजीडी) द्वारा किया गया। कार्यक्रम की मेजबानी संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो, लोक सभा सचिवालय द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में संसद सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन' से संबंधित विभिन्न पहलुओं में गहन रुचि दर्शाई।

संसद सदस्यों के उपयोग और जानकारी हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर पद्धति और प्रक्रिया स्कन्ध, शोध और सूचना प्रभाग, लोक सभा सचिवालय द्वारा तैयार किया गया और इसका हिन्दी संस्करण प्रकाशन शाखा, संपादन और अनुवाद सेवा, लोक सभा सचिवालय द्वारा तैयार किया गया।